न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भिनाय (अजमेर)
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी आर.ए.एस.)
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./101/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/184

1. भागचन्द पिता राम लाल जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. शिवराज पिता राम लाल जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पिता घीसा जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. रोडू पिता घीसा जाति बैरवा निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. कालू पिता हजारी जाति कीर निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. जगदीश पिता हजारी जाति कीर निवासी बड़ली तहसील भिनाय जिला अजमेर
1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील–भिनाय जिला–अजमेर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत बाबत् पत्थरगढ़ी
अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री विष्णुदत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

दिनांक – 07.10.2025

– : निर्णय :–

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आर.एल.आर.एक्ट का जरिये अधिवक्ता पेश किया जिसका संक्षेप में सार इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जाशुदा भूमि राजस्व **ग्राम बड़ली पटवार हल्का बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी तहसील भिनाय के खाता सं0 884 में दर्ज खसरा संख्या 4863 रकबा 0.49, खसरा संख्या 4864 रकबा 0.18 और 4865 रकबा 0.06 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर** के रूप में अवस्थित है। प्रार्थीगण अपनी भूमि पर र्निविवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा बाजौत कर उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थी अपने हक अधिकारो की भूमि पर निरन्तर व निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के ग्राम बड़ली स्थित उक्त प्रश्नगत भूमि के चारो तरफ कच्ची पक्की सीव माठ कायम चली आ रही है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि की सीवमाठ के साथ छेड़छाड़ करते रहते है तथा लड़ाई झगड़ा करते रहते है। प्रार्थी को अपनी भूमि के उपयोग/उपभोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 04 को प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करने हेतु अप्रार्थीगण को कहा तो अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया तथा मौका स्थिति में परिवर्तन पर आमादा हो गये। अगर अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गये तो अप्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारो की भूमि से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

हमेशा–हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 रा0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम बड़ली तहसील भिनाय की सरहद में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 4863 रकबा 0.49, खसरा संख्या 4864 रकबा 0.18 और 4865 रकबा 0.06 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 05 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थीगण को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद नोटिस तलबी के गैर हाजिर रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 13.08.2025 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये तथा अप्रार्थी संख्या 05 राजपैरोकार के रूप में स्वयं उपस्थित हुये। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, जरिये जवाब प्रकरण में राजहित को सुरक्षित रखते हुए, प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की गई। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। भू–राजस्व अधिनियम प्रकरण सम्मरी प्रोसेर्डिंग का है। समस्त पक्षकारान की तलबी हो चुकी है। इसलिए प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण हाजा को बहस हेतु नियत किया गया।

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 1956 पर नियत तारीख पेशी पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाने तथा तहसीलदार भिनाय से पत्थरगढ़ी किये जाने संबंधी अनुतोष चाहा है। प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 04 बावजूद तारीख पेशी सूचना के गैर हाजिर रहे है। जिससे अप्रार्थीगण की उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मौन सहमति प्रतीत होती है तथा प्रार्थना पत्र में अभिलिखित कथनो की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त बताते हुए, प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये।

बहस पर मनन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा संख्या 4863 रकबा 0.49, खसरा संख्या 4864 रकबा 0.18 और 4865 रकबा 0.06 की सीमा के पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया है। जिन्हे प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। परन्तु बावजूद सूचना तारीख पेशी पर गैर हाजिर रहे है। इसी प्रकार धारा 128 आरएलआर एक्ट के प्रकरण सम्मरी प्रोसेर्डिंग के तहत आते है जिनका निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना आवश्यक होता है। प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दोराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना बताया है। जिसका खण्ड़न अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी बड़ली के खाता संख्या 884 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 प्रकरण में वांछित अनुतोष यथा **ग्राम बड़ली पटवार हल्का बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी तहसील भिनाय के खाता सं0 884 में दर्ज खसरा संख्या 4863 रकबा 0.49, खसरा संख्या 4864 रकबा 0.18 और 4865 रकबा 0.06 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर** की भूमि का पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप सही एवं न्यायोचित समझते है।

— : : आदेश : :—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 128 भू0 रा0 अधि0 स्वीकार किया जाकर **ग्राम बड़ली पटवार हल्का बड़ली भू0अ0नि0 क्षेत्र चांपानेरी तहसील भिनाय के खाता सं0 884 में दर्ज खसरा संख्या 4863 रकबा 0.49, खसरा संख्या 4864 रकबा 0.18 और 4865 रकबा 0.06 कुल किता 03 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर** की भूमि की सीमाओं की पत्थरगढ़ी नायब तहसीलदार देवलियांकलां द्वारा किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। इस बाबत नायब तहसीलदार देवलियांकलां को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ संबंधित भू.अ. निरीक्षक बड़ली एवं संबंधित पटवारी हल्का बड़ली तहसील भिनाय की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। प्रार्थी पक्ष को आदेशित किया जाता है कि नायब तहसीलदार देवलियांकलां को मौके पर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराया जावे एवं साथ ही राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस, (नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/— व संबंधित भू.अ. निरीक्षक को 700/— एवं संबंधित पटवारी हल्का को 500/— रूपये) अदा करे। नायब तहसीलदार देवलियांकलां प्रार्थी पक्ष द्वारा फीस अदा किये जाने पर सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तहसीलदार भिनाय को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को सरे न्यायालय में सुनाया गया।

7/10/25

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)